न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः– रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः–143/2024/223 आर.टी.एक्ट (2024/143)

1. जडाव पत्नि बलदेव
2. गोपाल पुत्र बलदेव
3. बद्री पुत्र बलदेव
4. बदाम पत्नि हरदेव
5. हीरालाल पुत्र हरदेव
6. हेमराज पुत्र हरदेव

   समस्त जाति जाट, निवासी काचरिया, तहसील व जिला केकडी।

अपीलांट्स

बनाम

1. रामेश्वर पुत्र रामनिवास जाट, जाति जाट, निवासी श्यामपुरा, तहसील सरवाड जिला अजमेर।
2. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, केकडी।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 29.01.2024 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी राजस्व वाद संख्या 636/2017 (2017/01322).

उपस्थितः–

1. श्री आर0पी0 शर्मा अभिभाषक अपीलांट
2. श्री सलमान खान अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 2

निर्णय

दिनांकः–29.08.2025

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी द्वारा प्रकरण संख्या 636/2017 (2017/01322) में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 29.01.2024 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी/रेस्पोडेंट संख्या 1 ने एक वाद अंतर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 637, 820, 893, 894, 1209, 1210, 1215, 1218, 1221, 1224, 1226, 1228, 1230, 1726, 1897 कुल किता 15 कुल रकबा 3.26 है0 वाकै स्थित ग्राम काचरिया तहसील केकडी के बाबत उपखण्ड अधिकारी, केकडी के समक्ष प्रस्तुत किया जो निर्णय व डिक्री दिनांक 29.1.2024 द्वारा स्वीकार किया गया एवं अपीलांट्स का काउन्टर क्लेम निरस्त कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी द्वारा प्रकरण संख्या 636/2017 (2017/01322) में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 29.01.2024 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. अभिभाषक अपीलांट ने सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर निवेदन किया कि उपखण्ड अधिकारी, केकडी द्वारा पारित निर्णय प्रार्थीगण की पीठ पीछे पारित किया गया है जिससे आक्षेपित निर्णय पेटेन्ट इललीगल निर्णय की परिभाषा में आता है एवं यह न्याय का सुस्थापित सिद्धांत है कि ऐसे निर्णय को चुनौती देने की कानूनन कोई समयावधि नहीं है। आक्षेपित निर्णय प्रार्थीगण को बिना सुने पीठ पीछे पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से काबिल निरस्त योग्य है। न्याय का सुस्थापित सिद्धांत है कि मियाद के बिंदु पर नरम रूख अपनाते हुए प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित किया जाना चाहिए। प्रार्थीगण गरीब, मजदूर कम पढे लिखे काश्तकार है जिन्हें मियाद कानून की जानकारी नहीं है एवं यह न्याय का सुस्थापित सिद्धांत है कि मियाद के बिंदु पर नरम रूख अपनाते हुए प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित किया जाना चाहिए। अतः प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुती में हुई सदभाविक देरी को माफ किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किए जाने के आदेश प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र के जवाब में कथन किया कि प्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की पूर्णतः जानकारी थी इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है व अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पर किए गए कथन संतोषप्रद प्रतीत नहीं होते है, क्योंकि प्रार्थी ने जानकारी के संबंध में समुचित एवं पर्याप्त कारण अंकित नहीं किए है इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना न्यायोचित है।

6. हमने उभयपक्ष द्वारा प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर की गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया।

न्यायिक दृष्टांत आर0आर0टी0 2002(1) के अनुसार परिसीमा अधिनियम 1963– धारा–5 विलम्ब का उपशमन–विलम्ब, उपशमन के प्रश्न पर विचार करते समय सर्वप्रथम न्यायालय को मामले के गुणावगुण पर विचार करना चाहिए–यदि मेरिट पर मामला अच्छा है तो विलम्ब माफ कर दिया जाना चाहिए।

हम प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में किए गए कथन सदभाविक प्रतीत होते हैं, ऐसी स्थिति में अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र मियाद अधिनियम को स्वीकार कर अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाना न्यायहित में उचित समझते हैं।

आर0बी0जे (13)2006

INDIAN LIMITATION ACT, 1963- **section 5- When substantial question of law involved in appeal, delay condoned.**

अतः प्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाता है तथा अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

7. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने अपील बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजीयात रामकिशन पुत्र मेदा की पुश्तैनी आराजीयात है जो रामकिशन व नन्दू की मृत्यु के बाद उनकी पुत्रियों भूला, बदाम, हगाम, जडाव को विधिक रूप से प्राप्त हुई है एवं अपीलांट्स वादग्रस्त आराजीयात पर बेरोक टोक निरंतर काबिज काश्त चले आ रहे है। उक्त बिंदु पर गौर न कर उपखण्ड अधिकारी केकड़ी ने अपीलांट्स के विरूद्ध निर्णय पारित कर कानूनी भूल की है। रामकिशन की पुत्रियां हगाम व भूला का भी वादग्रस्त आराजी पर संयुक्त कब्जा काश्त चला आ रहा है जिन्हें वाद में पक्षकार नहीं बनाया गया है जिस कारण भी विपक्षी का वाद निरस्त किया जाकर अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम डिक्री किया जाना चाहिए था। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने श्यामपुरा की आराजीयात बाबत् एक वाद संख्या 2003/183 प्रस्तुत किया था जिसमें स्वयं ने अपने आपको रामनिवास का पुत्र बताया है एवं रामनिवास को कजोड का पुत्र बताया है इससे पूर्णतया सिद्ध है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 रामेश्वर, रामकिशन पुत्र मेदा का पुत्र नहीं होकर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 रामेश्वर, रामनिवास पुत्र कजोड का पुत्र है अर्थात रामेश्वर कजोड का पोता है, जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 रामेश्वर ने मेदा का पोता बनकर वाद प्रस्तुत किया था जो कतई चलने योग्य नहीं था एवं अपीलांट्स का काउन्टर क्लेम स्वीकार योग्य था। यहां यह भी स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि वाद संख्या 183/2003 में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने सजरा प्रस्तुत किया जिससे स्पष्ट है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 रामनिवास पुत्र कजोड का पुत्र है। प्रस्तुत प्रकरण में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 स्वच्छ हाथों से न्यायालय में नहीं आया है, जिस कारण से रेस्पोडेन्ट संख्या रामेश्वर का वाद काबिल निरस्त किया जाकर अपीलांट्स का काउन्टर क्लेम डिक्री किये जाने योग्य था। स्वयं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपने बयानों में अपने दादा का नाम कजोड बताया है एवं यहां यह स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि स्वयं स्वीकृति से अच्छी साक्ष्य नहीं हो सकती है। अर्थात् रामकिशन पुत्र मेदा की आराजी में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का कोई हित एवं अधिकार नहीं है एवं वादग्रस्त आराजी रामकिशन पुत्र मेदा की आराजी है एवं अपीलांट्स रामकिशन के वारिसान हैं एवं वादग्रस्त आराजी से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का कोई सम्बन्ध एवं सरोकार नहीं है एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 न्यायालय के समक्ष स्वच्छ हाथों से नहीं आया है, जिस कारण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का वाद निरस्त किया जाकर अपीलांट्स का काउन्टर क्लेम डिक्री किया जाना चाहिए था। उपखण्ड अधिकारी, केकडी के समक्ष अपीलांट्स ने जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर निवेदन किया था कि वादग्रस्त आराजी रामकिशन पुत्र मेदा की आराजीयात है एवं अपीलांट्स रामकिशन के वारिसान हैं जिससे अपीलांट्स को वादग्रस्त आराजी का खातेदार घोषित किया जावे। उपखण्ड अधिकारी, केकडी ने तनकीयात कायम की लेकिन आदेश 20 नियम 5 सी.पी.सी. के अनुसार प्रत्येक तनकी पर कोई विवेचन नहीं किया गया किसी भी तनकी का कोई निर्णय पारित नहीं किया जिस कारण उपखण्ड अधिकारी, केकडी द्वारा पारित निर्णय काबिल निरस्त योग्य है। जैसा कि सीपीसी के प्रावधान आदेश 20 नियम 5 में इस प्रकार है कि न्यायालय हर एक विवाधक पर अपने विनिश्चय का कथन करेगा उन वादों में जिनमें विवाधक की विरचना की गई है जबतक कि विवद्यकों में से किसी एक या अधिक का निष्कर्ष वाद के विनिश्चय के लिए पर्याप्त न हो न्यायालय हर एक पृथक विवाद्यक पर अपना निष्कर्ष या विनिश्चय उस निर्मित कारणों के सहित

देगा। 2004 आरआरटी पार्ट 2 पेज 911 राधामोहन बनाम रामेश्वर, 2011 आरआरटी पार्ट 1 पेज 137 नारायणी देवी बनाम रोहिताश, 2011 आरआरटी पार्ट 2 पेज 763 रमेश बनाम रोडी देवी। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय के पेज संख्या 5 पर इस प्रकार दिया है– अतः पत्रावली का अवलोकन किया, पक्षकारान की बहस पर मनन किया वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र अवलोकन किया प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब काउण्टर क्लेम का स्वीकार योग्य नहीं होने से काउण्टर क्लेम खारिज किया जाकर वादी का वाद पत्र अंतर्गत धारा 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का दावा डिक्री वादीगण के पक्ष में स्वीकार किया जाता है तथा वाद वर्णित आराजी वाके कस्बा काचरिया तहसील केकडी के खाता संख्या नया पुराना 324–287 के कुल किता 15 कुल रकबा 3.26 है0 पर प्रतिवादीगण व उनके रिश्तेदार, एजेन्ट को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वाद वर्णित आराजीयात के कब्जे काश्त आधिपत्य एवं स्वामित्व में किसी भी प्रकार की दखलंदाजी न करे व न ही वादी को जबरन, बेदखल करे तथा वाद वर्णित आराजीयात में वादी को शांतिपूर्ण कब्जे उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करे। इस आशय पर डिक्री पर्चा जारी किया जावे। उपरोक्त अंकन से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने किसी भी प्रदर्श किसी भी साक्ष्य किसी भी तनकी पत्र किसी प्रकार का कोई विवेचन, विश्लेषण नहीं किया जिससे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री सीपीसी के प्रावधानों के विपरीत होने से एवं स्पीकिंग एवं रिजण्ड निर्णय नहीं होने से निरस्त योग्य है। जैसा किः– 2008 डीएनजे पार्ट 2 पेज 959 मिश्रीलाल बनाम सुभाषचन्द–एच0सी0, 2017 डीएनजे पार्ट 1 पेज 270 जसपाल कौर बनाम डिस्टिक जज–एच0सी0, 2020 आआरटी पार्ट 1 पेज 356 अणदाराम बनाम मोतीराम, 2004 आरआरटी पार्ट 1 पेज 912 राधामोहन बनाम रामेश्वर, 2011 आरआरटी पार्ट 2 पेज 763 रमेश बनाम रोडीदेवी, 2011 आरआरटी पार्ट 1 पेज 137 नारायणी देवी बनाम रोहिताश 2022 आरआरटी पार्ट 2 पेज 1287 चन्द्रसिंह बनाम डिस्टिक कलक्टर–एच0सी। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट्स को साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया जिससे विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त किए जाने योग्य है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी द्वारा प्रकरण संख्या 636/2017 (2017/01322) में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 29.01.2024 में पारित निर्णय को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

8. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि विवादित आराजीयात वाकै काचरिया तहसील केकडी में स्थित है। उपरोक्त वाद वर्णित आराजीयात पर वादी के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजीयात है। उक्त वर्णित आराजीयात में प्रतिवादीगण का कोई हक व अधिकार नहीं है प्रतिवादीगण वादी को वाद वर्णित आराजीयात से जबरन बेदखल करना चाहते है तथा इस कारण जब चाहे लडाई झगडा करने पर उतारू हो रहे है। प्रतिवादीगण द्वारा की गई इस अवैध कार्यवाही से मजबूर होकर वादी को यह वाद प्रतिवादीगण मय उनके एजेन्ट रिश्तेदार इत्यादि को जरिए न्यायालय की स्थाई निषेधाज्ञा सदैव के लिए पाबंद किया जाना आवश्यक है वे वादी को उनके वाद पैरा संख्या 1 में वर्णित खातेदारी की आराजीयात में कब्जे काश्त करने में किसी भी प्रकार की दखलंदाजी न करे तथा न ही ऐसा कोई कृत्य करे जिससे वादी अपनी वाद वर्णित खातेदारी कब्जे काश्त की आराजीयात से बेदखल हो तथा आराजीयात के शांति पूर्ण कब्जे उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न हो, जिस कारण यह

वाद प्रस्तुत है। वाद प्रस्तुत करने का मूल कारण दिनांक 1.5.2017 से उत्पन्न होकर निरंतर जारी है। क्योंकि प्रतिवादीगण द्वारा वादी की कब्जे, काश्त स्वामित्व, आधिपत्य की आराजीयात से वादी को बेदखल करने पर उतारू हो रहे है तथा मना करने पर आमादा हो रहे है तथा वादी को अवैध रूप से आराजीयात से बेदखल करने की धमकिया दी जा रही है। अतः प्रतिवादीगण व उनके रिश्तेदार को न्यायालय की स्थाई निषेधाज्ञा सदैव के लिए पाबंद किया जाने व वादी को वाद वर्णित आराजीयात में कब्जे काश्त आधिपत्य एवं स्वामित्व में किसी भी प्रकार की दखलंदाजी न करे, आराजीयात को खुर्द बुर्द नहीं करे तथा न ही ऐसा कोई कृत्य करे जिससे वादी अपनी इस खातेदारी की आराजीयात से बेदखल हो तथा उसे आराजीयात के शांति पूर्ण कब्जे, काश्त, उपयोग, उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न हो। उक्त जरिए स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने हेतु निवेदन अपने वाद पत्र में किया। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है, अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांटस निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें। अभिभाषक रेस्पोडेंट ने अपने समर्थन में न्यायिक दृष्टांत आरबीजे 1999 पेज 63, आरबीजे 2002 पेज 246, आरबीजे 2009 पेज 351, आरबीजे 2012 पेज 420 प्रस्तुत किए हैं।

9. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वर्तमान रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा वाद पत्र अंतर्गत धारा 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किया गया। उक्त वाद पत्र का प्रतिवादीगण/अपीलांट द्वारा जवाब दावा मय काउण्टर क्लेम प्रस्तुत किया गया। वादी/रेस्पोडेंट द्वारा उक्त काउण्टर क्लेम का जवाब प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वार दावे जवाबदावे मय काउण्टर क्लेम के उपरांत प्रकरण में तनकीयात कायम की गई। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 19.12.2022 से स्पष्ट है कि उक्त दिनांक को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में तनकीयात कायम की जा चुकी थी, परंतु इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण का निस्तारण तनकीवार नहीं किया जाकर सरसरी तौर पर बिना फाईण्डिंग के किया गया।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलबध दस्तावेज के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में चार तनकीयात मय अनुतोष निर्मित किए गए थे, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 07.02.2023 को वादी/रेस्पोडेंट की उक्त तनकीयों बाबत साक्ष्य व बयान भी करवाए गए, परंतु इन सब प्रक्रिया के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में किसी प्रकार की कोई विवेचना किए बिना वादी/रेस्पोडेंट का वाद स्वीकार किया गया। चूंकि जब अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में तनकीयात कायम कर ली गई थी व वादी/रेस्पोडेंट द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत कर दी गई थी तो अधीनस्थ न्यायालय को उक्त प्रकरण में प्रत्येक तनकीयों का विस्तृत रूप से विवेचन करते हुए प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर करना चाहिए था, परंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस आधार पर आदेश पारित नहीं किया जाकर नॉन स्पीकिंग आदेश पारित किया गया।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में यह उल्लेख नहीं किया गया है कि किस आधार पर उनके द्वारा प्रतिवादीगण/अपीलांट का काउण्टर क्लेम खारिज किया जाकर विवादित आराजीयात वाकै ग्राम काचरिया तहसील केकडी के खाता संख्या नया–पुराना 324–287 के कुल किता 15 कुल रकबा

3.26 है0 पर प्रतिवादीगण / अपीलांट को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया गया।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया आदेश **सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश 20 नियम 5** के विपरीत पारित किया गया है, जिसके अनुसार *" न्यायालय हर एक विवाद्यक पर अपने विनिश्चय का कथन करेगा– उन वादों में, जिनमें विवाद्यक की विरचना की गई है, जब तक कि विवाद्यकों में से किसी एक या अधिक का निष्कर्ष वाद के विनिश्चय के लिए पर्याप्त न हो, न्यायालय हर एक पृथक विवाद्यक पर अपना निष्कर्ष या विनिश्चय उस निमित कारणों के सहित देगा।"* इससे स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय द्वारा ना तो साक्ष्य का ठीक विवेचन किया न प्रत्येक तनकी पर निर्णय दिया जबकि प्रकरण में तनकीयात कायम कर ली गई थी। विचारण न्यायालय को आदेश 20 नियम 5 की पालना करते हुए प्रत्येक तनकी पर विवेचनात्मक निर्णय पारित करना चाहिए। इस प्रकरण में विचारण न्यायालय ने दावे में तनकीयात तो बनाए है परंतु किसी भी तनकी पर विवेचना नहीं की है तथा दावा डिक्री कर दिया है, अधीनस्थ न्यायालय ने दावे में विचारण की निर्धारित कानूनी प्रक्रिया की पालना नहीं की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय त्रुटिपूर्ण है।

2011(1)आरआरटी 137

तनकियों को पृथक निर्णीत नहीं किया विचारण न्यायालय ने क्या विशिष्ट अनुतोष प्रदान किया निर्णय में नहीं लिखा–निर्णीत, आदेश सही अपास्त किया किंतु राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा पारित निर्णय उपान्तरित किया तथा पुनः निर्णीत करने हेतु मामला विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया।

Deciding each issue separately is necessary and non-compliance vitiate the judgment.

2011(2)आरआरटी 763

Passing of judgment issuewise is mandatory u/order 20 rule 5 c.p.c.

2020(1)आरआरटी 356

Non-speaking order is not an order in the eye of law

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत वर्तमान प्रकरण पर पूर्ण रूप से चस्पा होते हैं।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.01.2024 में प्रक्रियात्मक त्रुटि कारित हुई है इसलिए उपरोक्त विवेचनानुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को निरस्त किया जाकर उक्त प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

10. अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी द्वारा प्रकरण संख्या 636 / 2017 (2017 / 01322) में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 29.01.2024 को निरस्त किया जाता है तथा पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है

कि दावे व जवाब दावे के आधार पर तनकीयां निर्मित कर तनकीयों पर साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का विवेचन करते हुए पुनः गुणावगुण पर निर्णय व डिक्री पारित करे। उभयपक्षकारान को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 19.09.2025 को उपस्थित होने हेतु पांबद किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

11. निर्णय आज दिनांक 29.08.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर